



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक १५, १९९० द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/परीक्षा/2020/...२.7.2.....

भोपाल, 19/03/2020

अधिसूचना

सभी यूटीडी कैम्पस एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि के पश्चात आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंक प्रविष्ट (Submit) किए जाने के संदर्भ में कि आगामी व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी:-

आगामी परीक्षा सत्रों (मई-जून 2020 से) के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अर्थदण्ड के साथ अंक प्रविष्ट (Submit) किए जाने की व्यवस्था निम्नानुसार होगी:-

“Marks filled but not sent to University” तथा “Marks Not filled” दोनों ही श्रेणी में अध्ययन संस्था की लापरवाही के कारण अंक विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं होते हैं, वास्तव में दोनों अंक प्रविष्टि की प्रक्रिया की एक ही श्रेणी है अतः अंतिम तिथि के पश्चात विलम्ब शुल्क के साथ संबंधित संस्था को केवल दो अवसर प्रदान किए जाएंगे। विलम्ब शुल्क की दर निम्नानुसार रहेगी:-

(A) प्रथम अवसर अंतिम तिथि से 07 दिवस की अवधि में ऑनलाइन अंक जमा करने का रहेगा जिसमें विलम्ब शुल्क निम्नानुसार रहेगा-

1. आंतरिक परीक्षा के अंक रु. 100/- प्रति विद्यार्थी प्रति प्रविष्टि
2. प्रायोगिक परीक्षा के अंक रु. 100/- प्रति विद्यार्थी प्रति प्रविष्टि

(B) द्वितीय अवसर प्रथम अवसर की अंतिम तिथि से 07 दिवस की अवधि में ऑनलाइन अंक जमा करने का रहेगा जिसमें विलम्ब शुल्क निम्नानुसार रहेगा -

1. आंतरिक परीक्षा के अंक रु. 200/- प्रति विद्यार्थी प्रति प्रविष्टि
2. प्रायोगिक परीक्षा के अंक रु. 200/- प्रति विद्यार्थी प्रति प्रविष्टि

अंतिम तिथि से जो 07 दिन की समय सीमा निर्धारित की जायेगी उस अवधि में शासकीय अवकाश इसमें शामिल रहेंगे।

अर्थदण्ड के साथ उपरोक्त दोनों अवसर की अंतिम समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात किसी भी रूप में संस्था द्वारा प्रेषित ऑन लाइन अंक को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन संस्थाओं के विरुद्ध विश्वविद्यालय, कार्यवाही कर सकेगा जिन्होंने समयावधि के पश्चात भी अंक प्रेषित नहीं किये।

(Handwritten signature)

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)

कुलसचिव

दिनांक-19/03/2020

पृ.क्र./परीक्षा/2020/...२.7.3..

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति, कुलाधिसचिव, कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. निदेशन संबंध अध्ययन संस्थान को सूचनार्थ एवं सभी संस्थाओं को भेजे जाने हेतु प्रेषित।
4. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. ऑनलाइन शाखा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)

कुलसचिव

बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.पी. नगर, जोन-1, भोपाल (म.प्र.)-462011, फोन (0755) 2551642 फैक्स : (0755) 2551641
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal (M.P.) 462011, Phone-0755-2551642, Fax : 2551641

Website - www.mcu.ac.in